केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/P/20/00056
CICOM/R/P/20/00229

अपीलकर्ता : **श्री अभिषेक कुमार**
C/o श्री जयशंकर तिवारी
बुनियाद नगर, भनपुरी
पो0 - बिरगांव, जिला - रायपुर
छत्तीसगढ़ - 493221.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	11.05.2020
आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आवेदन के प्राप्त होने की तिथि	27.05.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	22.06.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री सी. विनोद बाबू
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	07.07.2020
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	30.07.2020
निर्णय की तारीख	20.08.2020

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 11.05.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 23.03.2020 डायरी सं. 24495/2020/DAK-CIC से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

1. आवक-जावक संख्या जिस रजिस्टर पर इस पत्र के लिए दर्ज किया गया उस पेज और मेरे पत्र पर चलाई नोट सीट की सत्यापित छाया प्रतिलिपि दें ।
2. मेरे पत्र पर की गई समस्त पत्रावली एवं सभी पत्राचार की सत्यापित छाया प्रतिलिपि दें ।
3. मेरे पत्रों पर जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की उसका नाम, पदनाम और संपर्क नंबर दें ।
4. मेरे पत्रों पर कार्यवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के नाम और पदनाम और संपर्क नंबर की सत्यापित छाया प्रतिलिपि दें ।
5. मेरे पत्रों पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारी किस नियम के तहत कार्यवाही नहीं किए उस नियम की सत्यापित छाया प्रतिलिपि दें ।
6. इससे संबंधित सभी फाइलों का निरीक्षण करने के लिए स्थान और समय निर्धारित कर हमें डाक द्वारा लिखित या मेल द्वारा सूचित किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान संदर्भित पेजों की छाया प्रतिलिपि को प्राप्त कर सकता हूँ, इसे सुरक्षित रखता हूँ ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री सी. विनोद बाबू, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 22.06.2020 को प्रेषित की गई सूचना निम्नानुसार है:-

बिंदु सं. 1 से 6 - पत्र दिनांक 23.03.2020 (सीआईसी डायरी नं. 24495/2020/DAK-CIC दिनांक 06.05.2020) मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यालय में आयोग की कम्पलेंट पॉलिसी के तहत भेजा जा चुका है । इस संबंध में वांछित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम के 8 (1) (J) के तहत नहीं दी जा सकती है, चूंकि यह सूचना व्यक्तिगत सूचना के अंतर्गत आती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
20 AUG 2020
D. No.......
Initials.......

0/c

प्रथम अपील का आधार

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के विषय में उल्लेख किया है कि "पत्रांक CICOM/R/P/20/00229/CV/ADMN दिनांक 22.06.2020 (प्राप्ति दिनांक 03.07.2020) के अंतर्गत दी सूचना मनग्रंथ, भ्रामक, आरटीआई नियम के विरुद्ध प्रथम अपील कराने के संबंध में" । साथ ही अपीलकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि - "यह मामला भ्रष्टाचार, अनियमितता, पदों का दुरूपयोग और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को भ्रष्टाचार करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले सूचना आयुक्त के विरुद्ध शिकायत का मामला है । यह शिकायत मैंने 23.03.2020 को किया था उसपर सूचना मांगने पर आरटीआई की धारा 8 (1) (J) का जिक्र कर अपने भ्रष्ट प्रवृत्ति का उजागर कर दिया" तथा अनुरोध किया है कि "केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई के तहत सही सूचना नहीं देने के कारण यथाशीघ्र विभागीय जांच और आईपीसी 1860 की धारा 166, 167, 420, 120बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए" ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 23.03.2020 डायरी सं. 24495/2020/DAK-CIC के संबंध में श्री सी. विनोद बाबू, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत ही है । अत: इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आश्यकता नहीं है ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 20 अगस्त, 2020

मीनाशर्मा 20/08/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री सी. विनोद बाबू, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (Admn), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।